

15.04.2025 पत्रावली पेश हुई। आधिकारिकता उपस्थित
 रूपान्तर। अ.सं. संख्या-5 लगाना 8
 को नया पेश करने हेतु पर्याप्त
 सिद्धता प्रदान किसे ज्ञेय, कावजूद
 इसके द्वारा और दे नया प्रस्तुत
 नहीं करने पर अध्या संख्या-5
 लगाना 8 को नया बेट किया
 जाता है। बहन अतिम आधिकारिकता
 उपस्थित सुनी गई। आधिकारिकता प्राथम्य
 गण द्वारा अपनी बहन में निवेदन
 किया कि मौजा सांघा में प्राथम्यगण
 के पुत्रों तक लड़कियों की संयुक्त
 कल्याण सुदा लड़कियों द्वारा पुत्रों
 खसरा संख्या 142 रकबा 34 बाघा
 11. कित्ति स्थित है नू-पुत्रों में नवीन
 खसरा संख्या-387 रकबा 3.46
 हंसिया ख.सं-388 रकबा 2.07
 हंसिया ख.सं. 386 रकबा 0.06 हंसिया

(400)
 सहायक कमिश्नर, सांचौर
 (उपखण्ड अधिकारी, सांचौर)

तारीख हुकम

हुकम या कार्यवाही अज इनिशियल्स जज

नम्बर
अहक
हुकम
में

जुमले रकबा 5.59 हेक्टेयर स्थिति 98
 व अमरोहा आराजी में अधियागण के
 पिता एच. नानजी पुत्र दिगोला का
 1/2 हिस्सा खिस्त व अधियागण सि.
 नानजी की जायदा पुर्णों को के
 कारण एच. नानजी के हिस्से की कूरु
 आराजी में अधियागण बुफे का 1/6
 हिस्सा व सहायक अंश निहित हैं।
 जो अधियागण की हिन्दू उत्तराधिकार
 अधिनियम 1956 की धारा 6 संशोधन
 के पर्याप्त बार्ड वरि रजिस्ट्रार के
 रूप में प्राप्त हैं। अधियागण अपने पिता
 एच. नानजी के जीवनकाल में ही प्राप्त
 कर लिये थे- विभाजन अलग करवाने
 का विहितमान अधिकार था। अधियागण
 के एक वादग्रस्त आराजी में स्थित
 अपने सहायक हिस्से को खुद-बूद
 करने का आगे किता अन्य के विरुद्ध,
 जान, तर्क एवं अन्य किता प्रमा के
 हस्तान्तरित करने का अधियागण के बार्ड
 अधिकार नहीं हैं अधियागण वादग्रस्त
 आराजी में स्थित अपने सहायक
 हिस्से में संयुक्त रूप से सहन व
 शांतिपूर्वक का वज काशन है तथा
 अपने हिस्से का लगान भी अधियागण
 के नाम अपने हिस्से की आराजी का जिला


जज अहक
 अधिकारी,
 सांचौर

तारीख हुक्म

हुक्म या कार्यवाही अज इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुक्म की तारीख
में जारी हुए।

इन्डान रहे रय हैं। वास्तुतः आरानी
 प्राप्ति व अजमी संख्या - 10/19/19
 3 की तैय्यत कइना काश की पुष्टि
 भूमि क्षेत्र के इस्त आरानी पर उल्लेख
 पुष्टि सारखातेदार का इति उल्लेख रूप
 पर रुक हबुक व स्वाचित्त का अधिकार
 हैं। इसलिये उक्त आरानी का विधि मते
 प्र-विभाजन के पूर्व न ले कोई अन्तर्गत
 व्यक्ति को हस्तान्तरित करे एवं न ही
 इन्हे हस्तान्तर अथवा ठेका का अधिकार
 हैं। अजमी संख्या - 1 व 2 ने
 तत्कालीन पंजी व तत्कालीन के विभाजन
 कर अन्तर्गत आरानी खण्ड संख्या -
 387, 387, 388 रुम रुम 5.59
 हजेर में प्राप्ति के अन्तर्गत आरानी
 के 1/2 हिस्से में स्थित प्राप्ति
 उल्लेख का 1/6 हिस्सा पुष्टि सारखातेदार
 हिस्सा क्षेत्र के बावजूद भी बाबे-बाबे
 पुष्टि रूप है उल्लेख का उल्लेख
 का वना कर वापस न्यून संख्या -
 15। के जरिये तैय्यत अन्तर्गत आरानी
 अपने नाम मुलकियत करव दी। प्राप्ति
 जज स्व. दिगोला की पौरोया एवं दिगोला
 के पुत्र स्व. नानजी की नाम पर पुष्टि
 व उल्लेख अजमी की उल्लेख का उल्लेख
 है तथा वास्तुतः आरानी में प्राप्ति
 का पुष्टि रुक हबुक कइना काश


 सहायक कमिश्नर, सांचौर
 (उपखण्ड अधिकारी, सांचौर)


होने के अधीनस्थ को स्व. हिंसा की
 तमूरा खोदारी फ्री में स्थित स. ग. न. ज.
 के 1/2 हिस्से की आरानी के 1/4 हिस्से
 की फ्री की खोदारी व्योक्ति करवा
 कर अपने-अपने हिस्से का फ्री-विभाजन
 करवाने का अधीनस्थ को विधि तमूरा
 ब्रायम्बर है। पाठ्यत फ्री में अधीनस्थ
 का पुरानी एक एकूच न करवा के
 के उपम हस्त्या मामला, मुद्रिय के
 केतुला अधीनस्थ के पक्ष में हैं।
 ऐसी अवस्था में यदि अधीनस्थ के
 विरुद्ध फ्री वाद के विताण अस्थाई
 विषयान्त की डिग्री माली का अधीनस्थ
 काफ्त नये कागरे तो अधीनस्थ को
 ऐसी अधीनस्थ खाते केगी जितनी
 धारिपति दस में आका करके मुद्रिय
 नये के इकाउले वास्तुत आरानी
 के अधीनस्थ के विरुद्ध हिस्से में
 उनके धारिपति करवा करत में
 डिग्री उका की अधीनस्थ (व्योक्ति)
 नये को तप्य वास्तुत आरानी के
 खतल लख्या - 386, 387, 388
 मुद्रिय करवा 5.59 हेमेल्य मोजा
 इजारे का अधीनस्थ धारिपति के अधीनस्थ
 के हिस्से की आरानी आगे डिग्री

तारीख हुकूम	हुकूम या कार्यवाही अज इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकूम की तारीख में जारी हुए।
-------------	------------------------------------	--

को बेचना हस्तांतरण नहीं करे तथा न ही किसी जमा का निर्माण कार्य करे। वास्तु शास्त्री का मौका एवं रासल रकई की यथास्थिति बनाये रहें।

आधिकारिता अधिप्राप्ति एवं अपने जयव अधिप्राप्ति के तथ्य को दोहराते हुए अपनी कलम में विवेक किया कि अधिप्राप्ति के दादा दादा मजदुर मीठिया 3 मीठ प्रग थीकम। 3 मीठ इलाका का गोलिया में पुराना खण्ड

- 142 जिन्हे नवीन खण्ड संख्या- 286 रकबा 0.06 हेक्टेयर खण्ड संख्या- 287 रकबा 2.46 हेक्टेयर खण्ड संख्या- 288 रकबा 2.07 हेक्टेयर कुम्हले रकबा 5.59 हेक्टेयर नाई है जिन्हें अधिप्राप्ति का कोई हक या कलना काशत नहीं है उक्त भूमि पर अधिप्राप्ति का कलना काशत प्रीथिया के समय में लगाता-पला आ रही है वास्तुशास्त्री आराम अधिप्राप्ति की खातेदारी भूमि है जिन पर लंबे समय के कलना काशत एवं रक्षक क्षेत्र है तथा अधिप्राप्ति हदेशा वास्तुशास्त्री आराम के आउट ऑफ पमेशन रही है के वास्तुशास्त्री भूमि के अधिप्राप्ति का कोई


 सहायक कलेक्टर, सांचौर
 (उपखण्ड अधिकारी, सांचौर)

कार्रगी वरु पैदा नहीं घेत हैं। वास्तव
 आदानी पर अध्यागण का कभी कोई
 कठना कार्र घे नहीं रहे हैं तो ए
 अध्यागण हाल अध्यागण को देखकर
 करे या फ्री वेंचन करे नी धमाकिया
 देने का जहन से पैदा नहीं घेत हैं।
 वास्तव आदानी से अध्यागण कपेश।
 आउर आउ पंजेशन रहे है जसकि कसुत
 आदानी से अध्यागण देखते आतेसा है
 एन मोन पर अध्यागण का कठना कार्र
 एन रहना है तथा अध्यागण को
 करते आ रहे है तथा अध्यागण के नाम
 से गिरावली घेनी पली आ रही है एन
 अध्यागण लगान अडा करते आ रहे हैं।
 दून उका उपम द्वारा प्रामला मुदिपा
 का लंगुलन एन अरुगीय बाते अध्यागण
 के पक्ष में न घेत अध्यागण के पक्ष
 में लोने है अध्यागण का जवना-पग
 काकिर उगाले हैं कतः ठिकेन है नि
 अध्यागण का जवना-पग लारिन, बलोर
 एन अरुगीय तय्ये पर आजाते घेने है
 खालि धमाक।
 मैं आधिकार्य सुअपुनमान
 की बरत पर अन किय, पगावरी पर

(पुन)
 सहायक कलेक्टर, सांचौर
 (उपखण्ड अधिकारी, सांचौर)

हुक्म संख्या :- 56/2024

हुक्म या कार्यवाही अज इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुक्म की तारीख में
जारी हुए।

अपल्याद दस्तावेजात का प्रती-प्रती अध्यापन
न अध्यापन किया गया। अतः उपर्युक्त हुक्म
आमल, पुस्तिका का तैयार अध्यापन
के पक्ष में प्रतीत होने के अध्यापन का
अध्यापन प्रतीत प्रतीत होने के प्रतीत
किया जाता है।

अतः अध्यापन के पक्ष में तथा
अध्यापन के विरुद्ध प्रतीत वाद के निस्तार
तक इस आदेश की अन्तर्गत अध्यापन
जारी की जाती है कि प्रतीत प्रतीत का
गोपनीय संख्या के प्रतीत प्रतीत अध्यापन -
142 रकबा 34 प्रतीत ॥ प्रतीत, प्रतीत प्रतीत
दस्तावेजा 387, रकबा 3.46 प्रतीत, प्रतीत प्रतीत
388 रकबा 2.07 प्रतीत, प्रतीत अध्यापन -
386 रकबा 0.06 प्रतीत प्रतीत प्रतीत
5.59 प्रतीत में अध्यापन का प्रतीत
प्रतीत व प्रतीत की अध्यापन प्रतीत प्रतीत
प्रतीत प्रतीत प्रतीत प्रतीत प्रतीत

प्रतीत प्रतीत प्रतीत प्रतीत

प्रतीत प्रतीत प्रतीत प्रतीत
प्रतीत प्रतीत प्रतीत प्रतीत

सहायक कलेक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी, सांचौर)